कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः 01.03.2021 द्वारा श्रीमती मंजू गौतम, वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी), राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय विनोबाभावे नगर, कोटा को दिनांकः 01.04.2021 से 23.06.2021 (कुल 84 दिवस) तक निजी विदेश यात्रा पर संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

श्रीमती मंजू गौतम, वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित कोविड–19 परिस्थितियों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान प्रतिबन्ध के आधार पर इनकी विदेश यात्रा अवधि में दिनांकः 24.06.2021 से 25.07.2021 तक अभिवृद्धि की एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

शेष शर्ते समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांकः 01.03.2020 के अनुसार यथावत् रहेगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/संस्था/एफ–3/13320/विदेश यात्रा/पार्ट–1/2020/88 दिनांकः 09/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), कोटा संभाग, कोटा।
2– मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटा शहर, कोटा।
3– सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोगामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
4– संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
5– रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

कार्मिक का विवरण:–

क्र स.	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	श्रीमती डोली शर्मा, अध्यापक	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकाणी, लूणी, जोधपुर	03.10.1964	संयुक्त राज्य अमेरिका, दिनांक: 26.07.2021 से 20.10.2021 (कुल 87 दिवस)

शर्ते :–

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवे :–
  - ➢ कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
  - ➢ कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
  - ➢ कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
  - ➢ कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एव न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा/संस्था/एफ–3/13320/विदेश यात्रा/2021/44 दिनांक: 09/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जोधपुर संभाग, जोधपुर।
2– जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, जोधपुर।
3– सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोगामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
4– संबधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
5– रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)